

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना के प्रकट किए जाने से छूट

सूचना का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत भारत के नागरिकों के साथ उपलब्ध है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (यहाँ आर.टी.आई. के रूप में संदर्भित) सार्वजनिक प्राधिकरणों से सूचना के लिए नागरिकों के अनुरोधों का समय पर जवाब देना अनिवार्य करता है। इस अधिनियम का मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मांगी गई जानकारी नागरिकों को समय पर दी जाए और उन्हें सशक्त बनाया जाए ताकि वे अपने कार्यों के लिए सार्वजनिक अधिकारियों को जवाबदेह ठहरा सकें।

1. सूचना के प्रकट किए जाने से छूट : धारा 8

जैसा कि पहले कहा गया है, सूचना एक मौलिक अधिकार है और इसे सभी स्थितियों में दिया जाना चाहिए लेकिन फिर भी इसमें कुछ छूट हैं। सभी जानकारी नागरिकों तक नहीं पहुंच सकती है। इस टेम्प्लेट में, हम विभिन्न छूटों पर एक नज़र डालेंगे और जानकारी को अस्वीकार करने के लिए सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा इन छूटों का दुरुपयोग कैसे किया गया है।

सूचना को केवल दो धाराओं के तहत खारिज किया जा सकता है जो कि धारा 8(1) और धारा 9 हैं। यह उन संभावित कारणों और परिस्थितियों की सूची है जिनके तहत जानकारी को खारिज किया जा सकता है। धारा 8(1) के अंतर्गत 10 ऐसी परिस्थितिया हैं जिनके अंतर्गत जानकारी प्रदान नहीं करायी जा सकती।

8 (क) "इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी नागरिक को निम्नलिखित सूचना देने की बाध्यता नहीं होगी- सूचना, जिसके प्रकटन से भारत की प्रभुता और अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक या आर्थिक हित, विदेश से संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो या किसी अपराध को करने का उद्दीपन होता हो;"

लोक सूचना अधिकारी (बाद में सूचना अधिकारी के रूप में संदर्भित) इस आधार पर सूचना के लिए एक आवेदन को खारिज कर सकता है कि जानकारी, यदि प्रकट की जाती है, तो राज्य की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक या आर्थिक हित या उसके साथ उसके संबंधों को भंग कर सकती है। एक विदेशी राज्य, जो किसी भी अपराध की प्रतिबद्धता को जन्म दे सकता है।

यदि लोक सूचना अधिकारी इस खंड का उपयोग करता है, तो उसे स्पष्ट रूप से यह बताना होगा कि उस जानकारी का प्रकटीकरण भारतीय राज्य की संप्रभुता, अखंडता या किसी अन्य उपरोक्त कारक पर प्रतिकूल प्रभाव कैसे डाल सकता है।

उदाहरण- इस खंड के तहत सेना के गठन, हथियारों की जानकारी, परमाणु कोड और ऐसी अन्य संवेदनशील जानकारी जैसी सूचनाओं से इनकार किया जा सकता है। इस प्रकार की जानकारी को अक्सर 'गोपनीय' अंकित किया जाता है और लोक सूचना अधिकारी उस जानकारी को साझा करने से इंकार कर देता है। हालांकि, आर.टी.आई. अधिनियम के तहत गोपनीय जानकारी के लिए विशेष रूप से कोई प्रावधान नहीं है।

नियम यह है कि छूट वाले हिस्से को छोड़कर सभी जानकारी साझा की जानी चाहिए। यदि कोई लोक सूचना अधिकारी इस खंड का उपयोग जानकारी साझा करने से इनकार करने के लिए करता है, तो आवेदक प्रथम अपीलकर्ता प्राधिकारी के साथ एक अपील दायर कर सकता है और उस अपील में अपीलकर्ता उस कारण की तलाश कर सकता है जिस पर लोक सूचना अधिकारी ने उक्त जानकारी साझा करने से इनकार किया था।, और इस जानकारी को साझा करने से देश की संप्रभुता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि लोक सूचना अधिकारी यह साबित करने में विफल रहता है, तो प्रासंगिक जानकारी साझा की जानी चाहिए।

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम सुधीर वोहरा में, दिल्ली के उच्च न्यायालय ने माना है कि चूंकि ढेर नींव और संरचना दोनों के सभी संरचनात्मक चित्रों की जानकारी, सभी इस्पात सुदृढीकरण विवरण, नींव विवरण, इंजीनियरिंग गणना और मिट्टी सहित मेट्रो पिलर नंबर 67 के कैंटिलीवर ब्रैकेट से संबंधित परीक्षण इंजीनियरों, ठेकेदारों, उप-ठेकेदारों और क्षेत्र में काम करने वाले अन्य लोगों को दिए गए थे, इस तरह की जानकारी का खुलासा पहले किया गया था और इसलिए, अधिनियम की धारा 8 (1)(क) आकर्षित नहीं होती क्योंकि प्रकटीकरण और सूचना प्रस्तुत करना राज्य के वैज्ञानिक और आर्थिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाल सकता था।

8(1)(ख) "सूचना, जिसके प्रकाशन को किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा अभिव्यक्त रूप से निषिद्ध किया गया है या जिसके प्रकटन से न्यायालय का अवमान होता है;"

आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए, अधिनियम में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिस सूचना को प्रकाशन से स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया गया है, उसका खुलासा नहीं किया जाएगा।

इसमें कुछ मामलों के विवरण के बारे में जानकारी शामिल है जिसे अदालतें विशेष रूप से कहती हैं कि साझा या खुलासा नहीं किया जा सकता है। कृपया ध्यान दें कि यहाँ कानून ने न्यायिक विचाराधीन मामलों में सूचना को छूट नहीं दी है। विचाराधीन को इस रूप में परिभाषित किया गया है, *'यह न्यायिक विचार के अधीन है और इसलिए किसी के लिए भी इसके बारे में सार्वजनिक रूप से बात करना अवैध है'*।

जबकि परिभाषा में ही उप-न्यायिक जानकारी के बारे में बात करने के लिए अवैध होने का उल्लेख है, आर.टी.आई. अधिनियम ऐसा नहीं करता है। यदि जानकारी सार्वजनिक रिकॉर्ड में है, तो सूचना अधिकारी को जानकारी देनी होगी। सूचना को नकारने के लिए विचाराधीन खंड का उपयोग खंड के रूप में नहीं किया जा सकता है।

माननीय केंद्रीय सूचना आयोग ने *एके गोयल बनाम आरएन शर्मा* के मामले में कहा कि सार्वजनिक प्राधिकरण को यह तय करने की आवश्यकता है कि कौन सी जानकारी आर.टी.आई. अधिनियम के इस प्रावधान को लागू करने से पहले अदालत की अवमानना का कारण बनेगी। हालांकि, उन मामलों पर जानकारी का खुलासा करने से न्यायालय की अवमानना का गठन नहीं होता है, जब तक कि इसके प्रकटीकरण को प्रतिबंधित करने वाला कोई विशिष्ट आदेश न हो।

ऐसे कई उदाहरण हैं जहां सूचना अधिकारी ने सूचना से इनकार करने के लिए धारा 8(1)(ख) का इस्तेमाल किया है। जबकि कुछ मामलों में यह सच हो सकता है, लेकिन कई मामलों में यह देखा गया है कि इसका कोई आधार नहीं है। सूचना अधिकारी आम तौर पर इस खंड को उद्धृत करता है और कहता है कि जानकारी विचाराधीन है, इसलिए इसका खुलासा नहीं किया जा सकता है।

ऐसी स्थिति में जहां विचाराधीन खंड का उपयोग किया जाता है, आवेदक को अपीलीय प्राधिकारी के पास अपील दायर करने की आवश्यकता होती है और उनकी अपील में सूचना अधिकारी से परिणाम साबित करने की मांग की जाती है। यदि सूचना अधिकारी नहीं कर सकता है, तो उन्हें सूचना की घोषणा करनी होगी क्योंकि अधिनियम न्यायिक विचाराधीन सूचना को मना नहीं करता है।

8(1)(ग) “ सूचना, जिसके प्रकटन से संसद या किसी राज्य के विधान-मंडल के विशेषाधिकार का भंग कारित होगा;”

यह एक छूट है जो विशेष रूप से उन मामलों में उपयोग की जाती है जहाँ संसद या विधायिका को रिपोर्ट या कागजात के साथ प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।

उदाहरण- राज्यों या संघ के बजट पत्र प्रस्तुत करने से पहले इस खंड के अंतर्गत आएं। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें आमतौर पर आयुक्तों/न्यायाधीशों को मुख्य समितियों में नियुक्त करती हैं जिनका काम ऐसी रिपोर्ट तैयार करना है। जबकि जांच आयोग अधिनियम की धारा 3(4) के तहत रिपोर्टों को कुछ समय के लिए छूट दी जा सकती है, ऐसी सभी रिपोर्टों को संसद/विधायिका में रखने के 6 महीने के भीतर सार्वजनिक डोमेन में रखा जाना चाहिए।

जांच आयोग अधिनियम, 1952 कि धारा 3(4) के तहत:

समुचित सरकार, यथास्थिति, संसद के प्रत्येक सदन या राज्य के विधान-मंडल के समक्ष, उपधारा (1) के अधीन आयोग द्वारा की गई जांच पर आयोग की रिपोर्ट, यदि कोई हो, उस पर की गई कार्यवाही के ज्ञापन सहित, आयोग द्वारा समुचित सरकार को रिपोर्ट के प्रस्तुत किए जाने से छह मास की कालावधि के अंदर, रखवाएगी”।

इसलिए, यदि सूचना अधिकारी जांच रिपोर्ट के कमीशन से इनकार करने के लिए धारा 8 (1) (सी) का उपयोग करता है, तो आवेदक अपील दायर करने के लिए इस खंड का उपयोग कर सकता है। अपील के तहत वे कह सकते हैं, चूंकि जांच आयोग अधिनियम कहता है कि जांच रिपोर्ट जैसी जानकारी को 6 महीने के बाद स्वतः घोषित किया जाना चाहिए, और जब से 6 महीने बीत चुके हैं, इस रिपोर्ट को आम जनता के लिए घोषित किया जाना चाहिए।

8(1)(घ) "सूचना, जिसमें वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार गोपनीयता या बौद्धिक संपदा सम्मिलित है, जिसके प्रकटन से किसी पर व्यक्ति की प्रतियोगी स्थिति को नुकसान होता है, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोक हित का समर्थन होता है"।

इस छूट को प्राप्त करने के लिए, सूचना अधिकारी को पहले यह आकलन करना होगा कि मांगी जा रही जानकारी एक व्यापार रहस्य है या बौद्धिक संपदा है। साथ ही, सूचना अधिकारी को यह आकलन करना चाहिए कि क्या इस जानकारी का खुलासा करने से किसी व्यवसाय की प्रतिस्पर्धी स्थिति को नुकसान पहुँच सकता है।

उदाहरण- कल यदि सरकार कोका-कोला की गुप्त नुस्खा में निवेश करती है और फिर कोई आर.टी.आई. अधिनियम के तहत कोका-कोला का गुप्त नुस्खा मांगता है, तो उस जानकारी का खुलासा नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे कोका-कोला की प्रतिस्पर्धी स्थिति को नुकसान होगा।

इसी तरह, अगर कोई एयर इंडिया की बौद्धिक संपदा के बारे में जानकारी माँगता है जिसका खुलासा नहीं किया जा सकता है क्योंकि एयर इंडिया में भी प्रतिस्पर्धी हैं और ऐसी जानकारी का खुलासा उनकी प्रतिस्पर्धी स्थिति को नुकसान पहुँचा सकता है।

हालाँकि ऐसा खंड भारतीय रेलवे के लिए लागू नहीं हो सकता क्योंकि उनके पास कोई प्रतिस्पर्धी नहीं है और उन्हें एकाधिकार होने का दर्जा प्राप्त है। इसलिए, यदि किसी आर.टी.आई. आवेदन में, सूचना अधिकारी कभी भी इस छूट के साथ प्रतिक्रिया करता है, तो आवेदक अपील के तहत तर्क दे सकता है, सूचना अधिकारी को पहले यह साबित करने की जरूरत है कि यह जानकारी व्यावसायिक विश्वास में साझा की गई है और ऐसी जानकारी का खुलासा करने से उनकी प्रतिस्पर्धी स्थिति को नुकसान होगा।

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया बनाम शौनक एच. सत्या और अन्य के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 8 (1) (घ) प्रश्न पत्रों के मॉडल उत्तरों के प्रकटीकरण को प्रतिबंधित या प्रतिबंधित नहीं करती है। परीक्षा के बाद और उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन के बाद परीक्षार्थियों और मॉडरेटरों को दिए गए प्रश्नों और निर्देशों के समाधान, यदि कोई हों, तो उस स्तर पर वे किसी तीसरे पक्ष की प्रतिस्पर्धी स्थिति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे।

शोख टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल लिमिटेड बनाम राज्य सूचना आयोग महाराष्ट्र कोंकण क्षेत्र, और यूनाइटेड टेलीकॉम लिमिटेड बनाम राज्य सूचना आयोग महाराष्ट्र कोंकण क्षेत्र और अन्य, (2011 के डब्ल्यूपी संख्या 2912 और 3137) मामले में माननीय बम्बई उच्च न्यायालय ने इन मामलों में एक संयुक्त निर्णय पारित किया कि ड्राइविंग लाइसेंस स्मार्ट कार्ड, ऑप्टिकल स्मार्ट कार्ड और पंजीकरण बुक स्मार्ट कार्ड प्रदान करने के लिए विभाग द्वारा तीसरे पक्ष के साथ किए गए समझौतों को आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 8(1)(घ) के तहत अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। चूंकि इस तरह के समझौतों के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप व्यापार रहस्य या बौद्धिक संपदा का खुलासा नहीं होगा। इस तरह की जानकारी के प्रकटीकरण से प्रक्रिया और अनुबंधों की सार्वजनिक जांच हो सकेगी और इसलिए व्यापक जनहित में यह वांछनीय है कि जानकारी प्रदान की जाए।

8(1)(ड) किसी व्यक्ति को उसकी वैश्वासिक नातेदारी में उपलब्ध सूचना, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोक हित का समर्थन होता है;

एक प्रत्ययी संबंध का अर्थ है एक ऐसा रिश्ता जहाँ एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर किसी प्रकार का विश्वास, भरोसा और निर्भरता रखता है। जिस व्यक्ति को भरोसा और विश्वास सौंपा गया है, उसके पास दूसरे पक्ष के लाभ और हित के लिए कार्य करने के लिए एक सहायक कर्तव्य होगा।

उदाहरण- व्यक्तिगत बैंक खातों का विवरण, रोगियों के मेडिकल रिकॉर्ड, एक वकील और ग्राहक के बीच संबंध आदि।

हालाँकि, अधिकांश सार्वजनिक जानकारी जो सार्वजनिक प्राधिकरण के साथ साझा की गई है, वह एक प्रत्ययी क्षमता से नहीं है, बल्कि एक वैधानिक आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, एक कंपनी जो कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के साथ जानकारी साझा करती है वह उसका एक दायित्व है, न की विश्वास आधारित संबंध। कंपनी के पास जानकारी साझा नहीं करने का विकल्प नहीं है। इसलिए आर.टी.आई. के तहत मांगी गई जानकारी को आम जनता के साथ साझा किया जाना चाहिए।

सूचना अधिकारी आम तौर पर बहुत सारे आर.टी.आई. प्रश्नों के लिए एक व्यापक छूट के रूप में 'वैश्वासिक जानकारी' का उपयोग करते हैं। ऐसे मामले में, आवेदक एक अपील दायर कर सकता है और स्पष्टीकरण मांग सकता है कि कैसे सूचना अधिकारी के साथ जानकारी प्रत्ययी संबंधों को प्रभावित करती है, अन्यथा उनके साथ साझा की गई ऐसी सभी जानकारी जनता को उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बनाम आदित्य बंदोपाध्याय के मामले में सी.बी.एस.ई. द्वारा प्रत्ययी संबंधों की इस छूट का अनुरोध किया गया था, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया था क्योंकि एक परीक्षा निकाय परीक्षा देने वाले छात्रों के संदर्भ में एक भरोसेमंद संबंध में नहीं हो सकता है। इसलिए, धारा के तहत कोई छूट नहीं थी, और उत्तर पुस्तिका छात्र को प्रदान की जानी थी।

8(1)(च) "किसी विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना"

यह उस जानकारी को संदर्भित करता है किसी विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना।

उदाहरण- राफेल जेट के मामले में यह छूट आर.टी.आई. के तहत सूचना देने से इनकार करने के लिए इस्तेमाल की गई थी।

हालाँकि, विदेशी सरकार द्वारा साझा की गई कुछ सूचनाओं को छूट दी जा सकती है यदि उन्हें विशेष रूप से विश्वास में साझा किया जाता है। जहाँ भी संभव हो, सरकार को जानकारी साझा करने की आवश्यकता है।

यदि कोई सूचना अधिकारी इस छूट का उपयोग करता है, तो आवेदक यह कहते हुए अपील दायर कर सकता है कि सूचना अधिकारी यह साबित करे कि जानकारी किसी विदेशी सरकार द्वारा गोपनीय रूप से साझा की गई थी।

श्री सुहास चक्रमा बनाम विदेश मंत्रालय के मामले में जहाँ कमीशन रोटेरीज से संबंधित जानकारी मांगी गई थी लेकिन इस धारा का हवाला देते हुए सूचना अधिकारी द्वारा इनकार कर दिया गया था। जिसके बाद माननीय सीआईसी ने कहा कि:

"यह देखते हुए कि भारत सरकार स्वयं सूचना के पारदर्शी प्रकटीकरण का प्रचार करने की कोशिश कर रही है और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यह मुद्दा केवल एक व्यक्ति की चिंता नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय हित से जुड़ा है, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि सार्वजनिक हित इस मामले में सर्वोपरि है और मांगी गई जानकारी प्रदान की जानी चाहिए।"

8(1)(च) "सूचना जिसको प्रकट करना किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डालेगा या जो विधि प्रवर्तन या सुरक्षा प्रयोजनों के लिए विश्वास में दी गई किसी सूचना या सहायता के स्रोत की पहचान करेगा;"

यह छूट उस जानकारी को संदर्भित करती है जिसके प्रकटीकरण से किसी व्यक्ति के जीवन, शारीरिक सुरक्षा का कारण या खतरा हो सकता है।

यह छूट उन मामलों में शामिल हो सकती है जहाँ व्हिसल-ब्लोअर शामिल हैं या कुछ गलत-करने के बारे में जानकारी साझा की गई है, जिसके प्रकटीकरण से व्यक्ति को नुकसान हो सकता है। लेकिन इस बात के पुख्ता सबूत होने चाहिए कि इस जानकारी को उजागर करने से नुकसान हो सकता है, यह महज कल्पना नहीं हो सकती।

ऐसे मामलों में भी, सूचना का अधिकार अधिनियम, विवरणों को कम करने के बाद जानकारी को साझा करने की अनुमति देता है जो किसी व्यक्ति की पहचान को उसकी रक्षा करने के लिए प्रकट कर सकता है। इसलिए, यदि कोई सूचना अधिकारी इस खंड का उपयोग करता है, तो आवेदक एक अपील दायर कर सकता है और वे तर्क दे सकते हैं कि सूचना अधिकारी को पहले यह साबित करना होगा कि इस जानकारी का खुलासा करने से नुकसान हो सकता है।

सुजीत कुमार मजूमदार एडवोकेट बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो में, जहाँ मुखबिर ने केंद्रीय जांच ब्यूरो के उन अधिकारियों का विवरण माँगा जिनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई या विचार किया गया और जांच की गई या प्रगति की मांग की गई। इस छूट के तहत सूचना अधिकारी द्वारा इसे खारिज कर दिया गया था लेकिन फिर माननीय राज्य सूचना आयोग ने ऐसी जानकारी के प्रकटीकरण का आदेश दिया क्योंकि यह उक्त छूट के अंतर्गत नहीं आती थी।

सूचना का अधिकार अधिनियम कि धारा 10 के तहत, सूचना अधिकारी व्यक्ति की सुरक्षा के लिए उसके नाम में संशोधन भी कर सकता है।

8(1)(छ) "सूचना जिसको प्रकट करना किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डालेगा या जो विधि प्रवर्तन या सुरक्षा प्रयोजनों के लिए विश्वास में दी गई किसी सूचना या सहायता के स्रोत की पहचान करेगा।"

यह छूट उसके शब्दों में ही स्पष्ट है। यह एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जहां जानकारी प्रकट करने से जांच की प्रक्रिया बाधित हो सकती है। जब तक इस बात का निर्णायक सबूत न हो कि इस जानकारी का खुलासा करने से जांच की प्रक्रिया में बाधा आ सकती है, या अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है, जानकारी को रोका नहीं जा सकता है।

इस छूट का उपयोग आमतौर पर पुलिस मामलों में किया जाता है जहां सूचना अधिकारी का कहना है कि जानकारी का खुलासा नहीं किया जा सकता क्योंकि यह जांच में बाधा डालेगा।

आवेदक उस मामले में यह कहते हुए एक अपील दायर कर सकता है कि सूचना अधिकारी जानकारी को तब तक रोक नहीं सकता जब तक कि इस बात का निर्णायक सबूत न हो कि इस जानकारी का खुलासा करने से जांच की प्रक्रिया में बाधा आ सकती है।

बी.एस. में माथुर बनाम लोक सूचना अधिकारी- दिल्ली उच्च न्यायालय के मामले में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना है कि केवल जांच या जांच का लंबित होना ही जानकारी को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह दिखाया जाना चाहिए कि मांगी गई जानकारी का प्रकटीकरण बाधित होगा या कम सीमा पर भी, जांच में बाधा या हस्तक्षेप करेगा।

8(1)(झ) "मंत्रिमंडल के कागजपत्र, जिसमें मंत्रिपरिषद्, सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार-विमर्श के अभिलेख सम्मिलित हैं;"

परन्तु यह कि मंत्रिपरिषद् के विनिश्चय, उनके कारण तथा वह सामग्री, जिसके आधार पर विनिश्चय किए गए थे, विनिश्चय किए जाने और विषय के पूरा या समाप्त होने के पश्चात् जनता को उपलब्ध कराए ना परन्तु यह और कि वे विषय, जो इस धारा में विनिर्दिष्ट छूटों के अंतर्गत आते हैं . प्रकट नहीं किए जाएंगे;

परन्तु यह और कि वे विषय जो इस धारा में विनिर्दिष्ट छूटों के अंतर्गत आते हैं, प्रकट नहीं किये जायेंगे;

इस खंड को अक्सर सभी कैबिनेट पत्रों, विचार-विमर्शों पर पूर्ण प्रतिबंध के रूप में गलत समझा जाता है। अधिनियम में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिन सूचनाओं और कागजातों के आधार पर मंत्री परिषद ने अपना निर्णय लिया है, उन्हें निर्णय लेने के बाद सार्वजनिक किया जाएगा।

चूंकि यह इस मामले पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं है, इसलिए निर्णय लेने के बाद सूचना अधिकारी जानकारी साझा करने से इनकार नहीं कर सकते हैं। यदि फिर भी इनकार किया जाता है, तो आवेदक एक अपील दायर कर सकता है और इस मुद्दे को उजागर कर सकता है और तर्क दे सकता है कि एक बार निर्णय लेने के बाद जानकारी को कैसे साझा किया जाना चाहिए

8(1)(ब) "सूचना, जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है, जिसका प्रकटन किसी लोक क्रियाकलाप या हित से संबंध नहीं रखता है या जिससे व्यक्ति की एकांतता पर अनावश्यक अतिक्रमण होगा, जब तक कि, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपील प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना का प्रकटन विस्तृत लोक हित में न्यायोचित है;"

परन्तु ऐसी सूचना के लिए .जिसको, यथास्थिति, संसद या किसी राज्य विधान-मंडल

को देने से इंकार नहीं किया जा सकता है, किसी व्यक्ति को इंकार नहीं किया जा सकेगा /

यह भी अक्सर आर.टी.आई. अधिनियम के तहत सबसे अधिक दुरुपयोग की जाने वाली छूटों में से एक है। सूचना अधिकारी अक्सर आर.टी.आई. के तहत सभी व्यक्तिगत जानकारी को निजी बताते हुए मना कर देते हैं। दुर्भाग्य से व्यक्तिगत और निजी के बीच कोई स्पष्ट अंतर नहीं है और अधिकारियों द्वारा इसका दुरुपयोग किया गया है।

अधिनियम सभी व्यक्तिगत सूचनाओं पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाता है और गोपनीयता की धारा संगठनों, संस्थानों आदि पर लागू नहीं हो सकती है, यह केवल प्राकृतिक व्यक्तियों पर लागू हो सकती है। अधिनियम सुनिश्चित करता है, कि यह नागरिकों की निजता के अवांछित आक्रमण का सामना करने का इरादा नहीं है। इसलिए, इसका मतलब है कि नाम, तारीख, उम्र जैसी जानकारी जिससे निजता पर कोई अवांछित आक्रमण नहीं होता है, का उपयोग जानकारी को अस्वीकार करने के लिए नहीं किया जा सकता है।

PIOs often misconstrue the exemption and do not read the proviso in this exemption which states, "That the information, which cannot be denied to the Parliament or a State Legislature shall not be denied to any person. This is an important proviso which roughly translates to, if a PIO refuses information under this section, he would also not share the same information with the parliament or state legislature.

सूचना अधिकारी अक्सर छूट का गलत अर्थ निकालते हैं और इस छूट में प्रावधान को नहीं पढ़ते हैं, जिसमें कहा गया है, "परन्तु ऐसी सूचना के लिए, जिसको, यथास्थित, संसद या कसी राज्य विधान-मंडल को देने से इंकार नहीं किया जा सकता है, किसी व्यक्ति को इंकार नहीं किया जा सकेगा" यह एक महत्वपूर्ण परंतुक है जो मोटे तौर पर इसका अनुवाद करता है, यदि कोई जन सूचना अधिकारी इस धारा के तहत सूचना देने से इनकार करता है, तो वह संसद या राज्य विधानमंडल के साथ समान जानकारी साझा नहीं करेगा। सार्वजनिक डोमेन में अधिकांश जानकारी आमतौर पर एक वैधानिक क्षमता में होती है और इसे स्वतः ही घोषित किया जाना चाहिए। तो इस मामले में, एक आवेदक संबंधित विभागों के अपील प्राधिकरण के पास अपील दायर कर सकता है। अपनी अपील में वे इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि उक्त जानकारी को आगे संसद में साझा नहीं किया जाएगा। यदि वे ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो जानकारी को आवेदक के साथ साझा किया जाना चाहिए।

ए.एम. कालरा बनाम मानव संसाधन मंत्रालय के मामले में, अपीलकर्ता ने श्री आरआर सिंह को फर्जी टी.ए. दावे आदि जमा करने के लिए दी गई सजा के बारे में जानकारी मांगी। केंद्रीय सूचना आयोग ने हालांकि माना कि मांगी गई जानकारी जनहित / सार्वजनिक गतिविधि से संबंधित है, इसलिए यह करता है धारा 8(1)(ज) के तहत छूट को आकर्षित नहीं करते।

2. सूचना का अधिकार अधिनियम कि धारा 9 के अंतर्गत छूट:

9. "धारा 8 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यथास्थिति, कोई केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या कोई राज्य लोक सूचना अधिकारी सूचना के किसी अनुरोध को वहां अस्वीकार कर सकेगा, जहां पहुंच उपलब्ध कराने के लिए ऐसा अनुरोध राज्य से भिन्न किसी व्यक्ति के अस्तित्वयुक्त प्रतिलिप्यधिकार का उल्लंघन अन्तर्वलित करेगा।"

यह एक छूट को संदर्भित करता है जिसके तहत किसी व्यक्ति के कॉपीराइट से संबंधित जानकारी साझा नहीं की जा सकती है।

उदाहरण- यदि कोई आवेदक किसी फिल्म की सेंसर कॉपी मांगता है, जिसे साझा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वह धारा 9 के तहत आती है। हालांकि यह कॉपीराइट दावा केवल एक निजी व्यक्ति या निगम पर लागू किया जा सकता है और राज्य के कॉपीराइट दावों पर लागू नहीं किया जा सकता है। किसी भी जानकारी को इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि कॉपीराइट राज्य के पास है।

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन बनाम सुधीर वोहरा के मामले में, अदालत ने कहा कि धारा 9 आर.टी.आई. अधिनियम के अंत में "राज्य के अलावा" शब्द विधायी मंशा को दर्शाते हैं कि प्रकटीकरण से छूट केवल तभी उपलब्ध है जब इस तरह के प्रकटीकरण में उल्लंघन शामिल है, एक कॉपीराइट राज्य के अलावा किसी अन्य व्यक्ति में मौजूद है। जब राज्य में मौजूद कॉपीराइट से संबंधित जानकारी के प्रकटीकरण की बात आती है तो मना करने का कोई विवेक नहीं है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन मांगी गई जानकारी को अस्वीकार नहीं कर सकता, भले ही मेट्रो पिलर के कंटिलिटेड ब्रैकेट से संबंधित डिजाइन में उसके कॉपीराइट का उल्लंघन शामिल हो।

3. छूट से कैसे बचें?

सूचना का अधिकार अधिनियम नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों से जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, लेकिन अधिक बार यह देखा गया है कि सूचना अधिकारी ऊपर उल्लिखित छूट के तहत जानकारी को अस्वीकार करने की प्रवृत्ति रखते हैं। आपके आवेदन को खारिज होने से बचाने के लिए आपको हमेशा निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए-

(क) अपने आवेदन में, आपको यह उल्लेख करना होगा कि यदि सूचना अधिकारी का मानना है कि यह जानकारी आर.टी.आई. अधिनियम के तहत छूट प्राप्त है, तो उसे तर्क के साथ जवाब देना चाहिए कि वे ऐसा क्यों सोचते हैं।

(ख) जिसमें आप जो जानकारी मांग रहे हैं उनके समक्ष आप आयोगों के विभिन्न पूर्ववर्ती आदेशों या न्यायिक निकायों के निर्णयों को शामिल कर सकते हैं जिससे यह प्रदर्शित हो सके कि जो सूचना आप मांग रहे हैं वह पहले आर.टी.आई. अधिनियम के तहत प्रदान की गई है।

(ग) आप एक बिंदु भी शामिल कर सकते हैं जिसमें बताया गया है कि मांगी गई जानकारी जनहित में कैसे है, जैसा कि धारा 8(2) के तहत कहा गया है:

(2) शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (1923 का 19) में, उपधारा (1) के अनुसार अनुज्ञेय किसी छूट में किसी बात के होते हुए भी, किसी लोक अधिकारी को सूचना तक पहुंच अनुज्ञात की जा सकेगी, यदि सूचना के प्रकटन में लोक हित, संरक्षित हितों के नुकसान से अधिक है।

आवेदन अंतर्गत धारा(1)6 , सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सम्बंधित अधिकारी: लोक सूचना अधिकारी / सहायक लोक सूचना अधिकारी

संबंधित कार्यालय: लोक सभा, नयी दिल्ली

दिनांक: 01.01.2021

चाही गयी जानकारी: माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुभाष चन्द्र अग्रवाल बनाम लोक सभा सेक्रेटेरिएट एवं अन्य के मामले में यह आदेश किया था की सेक्रेटरी जनरल के पद की समय सीमा के बढ़ाये जाने के सन्दर्भ में की गयी चर्चा जन सूचना है, अतः सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आती है।

इस सन्दर्भ में चाही गयी जानकारी प्रदान करें:

- वर्तमान पदस्थ सेक्रेटरी जनरल का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ाया जा रहा है;
- यदि वर्तमान पदस्थ सेक्रेटरी जनरल के द्वारा बढ़ाये गए कार्यकाल के लिए अनुमति प्रदान करदी गयी है, तो उक्त पत्र की प्रति प्रदान कराये।

आवेदक,

पोस्टल ऑर्डर क्रमांक:

श्री XYZ

पता: 77 न्यु ब्लोक, शिवपुरी, म.प्र.

दूरभाष: XXXXXXXXXX

आवेदन निरस्त करने से पूर्व कृपया संज्ञान में ले:

- जरूरत पड़ने पर, धारा 5(3) के अंतर्गत 'युक्ति युक्त सहायता प्रदान' करें।
- यदि आवेदन के पूरा या समुचित भाग पर जानकारी, इस विभाग के अधीन उपलब्ध नहीं है तो धारा 6(3) के अंतर्गत अन्य उचित सूचना अधिकारी को अंतरित करने का कष्ट करें।